प्रैस रिलीज

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

21 दिसंबर,2022

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की प्रतिवेदन - रेलवे संसद में प्रस्तुत

वर्ष 2022 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन स. 25 - 'संघ सरकार (रेलवे) - लेखापरीक्षा प्रतिवेदन खंड ।' को आज संसद में प्रस्तुत किया गया।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, खंड । में रेल मंत्रालय के एक अखिल भारतीय पैराग्राफ और 25 अलग-अलग पैराग्राफों से सम्बंधित लेखपरीक्षा निष्कर्ष शामिल है। इस प्रतिवेदन में उल्लिखित उदाहरण वे हैं, जो की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान 21-2020 ध्यान में आए और साथ ही वे जो पहले के वर्षों में ध्यान में आए, लेकिन पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किए जा सके; के बाद की अवधि से संबंधित 21-2020 उदाहरणों को भी, जहां आवश्यक हो, शामिल किया गया है।

अखिल भारतीय पैराग्राफ

पैरा 2.1 रेलवे के संपर्क में आने वाले बच्चों की देखभाल और सुरक्षा पर रेलवे नीति का कार्यान्वयन

रेलवे के संपर्क में आने वाले बच्चों की देखभाल और संरक्षण पर रेलवे नीति की समीक्षा से उभरने वाले मुख्य निष्कर्ष निम्नानुसार थे:

(i) लेखापरीक्षा के परिणामों से किशोर न्याय अधिनियम (जेजे), 2015, जेजे नियम, 2016 और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (आरबी) रेलवे बोर्ड/(एमडब्ल्यूसीडी) आदेशों के प्रासंगिक प्रावधानों को संबोधित करने में एसओपी की/के परिपत्रों अपर्याप्तता का पता चला।

(ii) कई स्टेशनों पर बाल सहायता समूह का गठन नहीं किया गया (सीएचजी) था। अन्य स्थानों पर बाल सहायता समूह के सदस्यों की संरचना मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप नहीं थी। बाल सहायता समूह द्वारा अतिरिक्त (एसओपी) को मासिक समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया (एडीआरएम) मंडल रेल प्रबंधकों

गया था। मानक संचालन प्रक्रिया में परिकल्पित बाल सहायता समूह की बैठकें स्टेशन म/(एसएसएस) स्टेशन अधीक्षकोंास्टरों द्वारा नहीं बुलाई गई (एसएम) थीं।

(iii) स्टेशनों पर चाइल्ड हेल्प डेस्क अलग-स्थापित करने में कमी थी। अलग (सीएचडी) अलग जगह-स्टेशनों पर आकर ठहरे पुरुष और महिला बच्चों के लिए अलग उपलब्ध नहीं कराई गई। बच्चों की देखरेख और संरक्षण के लिए प्राधिकारि/कार्यकर्ताओंयों के ब्यौरे से संबंधित अभिलेखों की कमी थी। कई स्टेशनों पर एसएस सूची रजिस्टर का रखरखाव-एसएम द्वारा प्रवेश रजिस्टर और वस्तु/ मुक्त कराए गए बच्चों की रिपोर्टिंग/नहीं किया गया था। कई स्टेशनों पर मिले को करने में विलंब पाया गय (सीडब्ल्यूसी) बाल कल्याण समितिा।

(iv) रेलवे सुरक्षा बल द्वारा कई स्टेशनों पर बच्चों की देखभाल पर अलग (आरपीएफ) से कोई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था। स्टेशनों पर बचाए गए बच्चोंकी जानकारी अपलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट भी अस्तित्व में नहीं थी। आरपीएफ प्राधिकारियों द्वारा बच्चों को सीधे उनके माता-माता/पिता-पिता के अलावा अन्य को सौंपने के मामले गंभीरचिंता के विषय थे।

(v) रेल मंत्रालय ने चिंता के कुछ क्षेत्रों को दूर करने के लिए दिसंबर 2021 में मानक संचालन प्रक्रिया को संशोधित किया है; हालाँकि, अभी भी ऐसे मुद्दे मौजूद हैं जिन पर रेल मंत्रालय को आगे ध्यान देने की आवश्यकता है।

<u>व्यक्तिगत पैराग्राफ</u>

पैरा 2.2 अतिरिक्त माल-भाड़ा अर्जित करने के अवसर को खोना और ढुलाई पर अतिरिक्त व्ययदक्षिण पश्चिम रेलवे :

तोरनागल्लू रंजीतपुरा मार्ग पर बीओएक्सएनईएल वैगनों के साथ बीओएक्सएनएचए रेकों- की आपूर्ति करने में दक्षिण पश्चिम रेलवे प्रशासन की विफलता के परिणामस्वरूप 2013-14 से 2020-21 की अवधि के लिए ₹ 48.24 करोड़ का अतिरिक्त माल-भाड़ा अर्जित करने का अवसर खो दिया गया। रेल प्रशासन ने इस अवधि के दौरान 781 अतिरिक्त रेकों की ढुलाई पर ₹ 5.22 करोड़ का अतिरिक्त व्यय भी किया।

पैरा 2.3 राजस्व की हानिदक्षिण पश्चिम रेलवे :

दक्षिण पश्चिम रेलवे प्रशासन ने पीएससी स्लीपर्स फैक्ट्री स्थापित करने के लिए मैसर्स मारुति बिल्डर्स, बेंगलुरु को 3.92 एकड़ जमीन पट्टे पर दी। रेलवे प्रशासन ने गलत स्थान के भूमि मूल्य पर भूमि लाइसेंस शुल्क का आकलन किया (एलएलएफ), जो पट्टे पर दी गई भूमि के निकटतम स्थानों से बहुत कम था। इसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2006 से मार्च 2021 की अवधि के लिए एलएलएफ का आकलन करने के लिए निकटतम स्थान के उच्च भूमि मूल्य को नहीं अपनाने के कारण ₹ 45.18 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

पैरा 2.4 मैसर्स महानंदी कोल फील्ड्स लिमिटेड, तालचेर से कर्मचारियों की लागत ` 28.85 करोड़ की वसूली न होनापूर्व तटीय रेलवे :

पूर्व तटीय रेलवे का लेखा विभाग समय पर बिल तैयार करने और वसूली के लिए अनुसरण करने के लिए लेखा विभाग -खंड)I) के लिए भारतीय रेलवे संहिता के पैरा 1141 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं करके रेलवे के हितों की रक्षा करने में विफल रहा है। इसके परिणामस्वरूप 2007 से 2021 की अवधि के लिए मैसर्स महानंदी कोल फील्ड्स लिमिटेड से कर्मचारियों की लागत के ₹ 28.85 करोड़ की वसूली नहीं हुई है।

पैरा 2.5 निजी साइडिंग मालिकों से निरीक्षण एवं अनुरक्षण प्रभारों का गैर/कम वसूली होनापश्चिम रेलवे :

निजी साइडिंग मालिकों से निरीक्षण और रखरखाव शुल्क लगाने में पश्चिम रेलवे प्रशासन की विफलता के परिणामस्वरूप 2017-18 से 2021-22 की अवधि के लिए ₹ 23.35 करोड़ के निरीक्षण और रखरखाव शुल्क की गैर कम/वसूली हुई।

पैरा 2.6 रेलवे मेल सेवा के लिए (आरएमएस)लाइसेंस शुल्क की कम वसूली होना : पश्चिम रेलवे

पश्चिम रेलवे प्रशासन, डाक विभाग को दी जाने वाली रेलवे मेल सेवा (आरएमएस) सुविधाओं के लिए भूमिलाइसेंस शुल्क में समय समय पर संशोधन करने में विफल-लाइसेंस शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ है।

पैरा 2.7 समयोपरि भत्ते का अधिक भुगतान :पूर्व रेलवे

सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, पूर्व रेलवे प्रशासन ने जुलाई 2017 से दिसंबर 2021 की अवधि के लिए ₹ 8.0 करोड़ के समयोपरि भत्ते का अधिक भुगतान किया।

पैरा 2.8 साइडिंग मालिकों से वाणिज्यिक कर्मचारियों की लागत का पूर्व मध्य रेलवे :संग्रहण-गैर/उदग्रहण-गैर

पूर्व मध्य रेलवे प्रशासन ने चार निजी साइडिंग में तैनात रेलवे वाणिज्यिक कर्मचारियों की लागत वसूलने के संबंध में रेलवे बोर्ड के निर्देश का पालन नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप जनवरी 2005 से दिसंबर 2021 की अवधि के लिए ₹ 7.57 करोड़ की कर्मचारियों की लागत की वसूली नहीं हुई है।

पैरा 2.9 निजी साइडिंगों से विलंब शुल्क का कम उद्ग्रहण पूर्व तटीय रेलवे :

निजी साइडिंगों में रेकों की बैक लोडिंग के दौरान विलंब शुल्क की गणना हेतु ठहराव के घंटों की गणना के लिए रेलवे बोर्ड के मार्च 2012 के दिशानिर्देशों को जनवरी 2018 तक पूर्व तटीय रेलवे के दो साइडिंगों में लागू नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप फरवरी 2015 से दिसंबर 2017 की अवधि के लिए ₹ 4.63 करोड़ के विलंब शुल्क की कम वसूली हुई।

पैरा 2.10 साइडिंग में रेकों को लंबे समय तक रोके जाने के कारण अर्जन क्षमता का नुकसानउत्तर पश्चिम रेलवे :

उत्तर पश्चिम रेलवे प्रशासन अल्ट्राटेक नाथद्वारा सीमेंट लिमिटेड साइडिंग में पार्टी द्वारा अनलोडिंग ऑपरेशन पूरा करने और रेक रिलीज करने के पश्चात लोकोमोटिव को समय पर रिलीज करने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप अगस्त 2019 से जुलाई 2021 की अवधि में रेकों का लंबे समय तक रुकने के कारण वैगनों की कमाई क्षमता में ₹ 12.60 करोड़ की हानि हुई।

पैरा 2.11 फर्जी रेलवे नियुक्तियों से संबंधित जांच कार्यवाही पूर्ण करने में अत्यधिक विलम्ब :मध्य रेलवे

समूह 'घ' के बाईस कर्मचारी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मई 1989 से अप्रैल 1992 के बीच मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्टमें शा (आर/एमटीपी) रेलवे/मिल हुए। मध्य रेलवे प्रशासन को जांच कार्यवाही पूरी करने में 14 से 20 वर्ष का समय लगा, जिसके परिणामस्वरूप समूह 'घ' के इन 22 कर्मचारियों को 29 से 32 वर्षों तक सेवा में बनाए रखा गया और उन्हें ₹ 10.37 करोड़ के नियमित वेतन और भत्ते प्राप्त हुए।

पैरा 3.1 भार मुक्त भूमि पर कब्जा सुनिश्चित किए बिना संविदा देने के कारण अपव्ययपूर्व रेलवे :

पूर्वी रेलवे प्रशासन ने रेलवे संबद्धता के लिए भार मुक्त भूमि का कब्जा सुनिश्चित किए बिना संविदा दी। विस्तृत प्राक्कलन की स्वीकृति की तारीख से 13 वर्षों से अधिक समय तक परियोजना पूरी न होने के कारण परियोजना का इच्छित उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं हो सका है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 130.85 करोड़ की पूंजी अवरुद्ध होकर अनुपयोगी हो गई है।

पैरा 3.2 एक अतिरिक्त सीएनसी क्षैतिज बोरिंग और मिलिंग मशीन की अविवेकपूर्ण अधिप्राप्ति पटियाला :रेलइंजन कारखाना

पटियाला रेलइंजन कारखाना प्रशासन की ओर से रेलवे बोर्ड के (पीएलडब्ल्यू) 2014 के निर्देशों के अनुसार एक अतिरिक्त सीएनसी मशीन की आवश्यकता की समीक्षा करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 22.87 करोड़ की लागत पर सीएनसी मशीन की अविवेकपूर्ण अधिप्राप्ति हुई।

पैरा 3.3 परेल कार्यशाला में मध्य जीवन पुनर्वास सुविधाओं के सृजन पर निष्फल-मध्य रेलवे :व्यय

मध्य रेलवे प्रशासन की कार्य के लिए स्पष्ट स्थल निधियों की उपलब्धता जैसी/ पूर्वआवश्यकताओं को पू-रा करने में विफलता के कारण मध्य-जीवन पुनर्वास (एमएलआर) परियोजना के सिविल कार्य संविदाओं कोसमयपूर्व बंद करना पड़ा। इसके अलावा, मध्य रेलवे प्रशासन ने एमएलआर परियोजना पर ₹ 22.07 करोड़ के व्यय के बावजूद परेल कार्यशाला को बंद करके यात्री टर्मिनल सुविधा विकसित करने का अविवेकपूर्ण निर्णय लिया।

पैरा 3.4 संपर्क मार्गों का काम पूरा नहीं होने से पूंजी का अवरोधनमध्य रेलवे :

मध्य रेलवे प्रशासन ने संपर्क मार्गों को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार से अपेक्षित वचनपत्र प्राप्त किए बिना ₹ 18.75 करोड़ की लागत से दो रोड ओवर ब्रिज का निर्माण किया। इसके परिणामस्वरूप चार वर्षों से अधिक समय तक (आरओबी) आरओबी के निर्माण पर₹ 18.75 करोड़ की पूंजी अवरुद्ध हो गई।

पैरा 3.5 रेलवे बोर्ड के निर्देशों का पालन न करने के कारण मूल्य परिवर्तन खंड के तहत संविदाकारो को परिहार्य भुगतानपश्चिम रेलवे :

प्रारंभिक कार्यों को पूरा करने में पश्चिम रेलवे प्रशासन द्वारा खराब योजना के परिणामस्वरूप मूल्य भिन्नता खंड के तहत संविदाकारों को (पीवीसी)₹ 15.76 करोड़ का परिहार्य भुगतान किया गया।

पैरा 3.6 संविदा की सामान्य शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप संविदाकार को ₹ 12.17 करोड़ का अनुचित लाभ होनादक्षिण पूर्व मध्य रेलवे :

उप लेटिंग पर प्रतिबंध के संबंध में-संविदाकार को काम के सब-संविदा की सामान्य शर्तों का पालन न करने के परिणामस्वरूप संविदाकार को ₹ 12.17 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ।

पैरा 3.7 निर्माण कार्यों में राज्य सरकार के ₹ 7.75 करोड़ के हिस्से की वसूली न होनादक्षिण पूर्व मध्य रेलवे :

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे प्रशासन रोड ओवर ब्रिज (आरयूबी) और रोड अंडर ब्रिज (आरओबी) के निर्माण कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के साथ पूरक समझौतेसमझौता ज्/ज्ञापन को निष्पादित करने में विफल रहा। (एमओयू)परिणामस्वरुप, फरवरी 2019 से राज्य सरकार के ₹ 7.75 करोड़ हिस्से की वसूली नहीं की जा सकी।

पैरा 3.8 संकेतन और दूरसंचार केबलों को होने वाली क्षति के लिए संविदाकारों से शास्ति का उद्ग्रहण न होनादक्षिण रेलवे :

दक्षिण रेलवे प्रशासन संकेतन, विद्युत और दूरसंचार केबलों के आसपास खुदाई कार्य करने से संबंधित संयुक्त प्रक्रिया आदेश के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा। (जेपीओ) इसके परिणामस्वरूप सिविल इंजीनियरिंग कार्य निष्पादित करते समय केबलों को परिहार्य क्षति पहुंची और चूककर्ता संविदाकारों से ₹ 6.43 करोड़ की शास्ति का उद्ग्रहण नही हुआ है।

पैरा 3.9 संविदाकारों से निर्णीत हर्जाने की वसूली न होनापूर्वोत्तर रेलवे :

पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन में कमजोर आंतरिक नियंत्रण तंत्र होने के कारण संविदा की सामान्य शर्तों के खंड (जीसीसी)17 (ख के तहत विस्तार प्रदान करने के लिए लागू (निर्णीत हर्जाने की (एलडी)₹ 6.20 करोड़ की राशि की वसूली नहीं हुई।

पैरा 3.10 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कब्जे वाली रेलवे भूमि के लिए पट्टा प्रभारों की वसूली न होनाउत्तर रेलवे :

रेलवे की 11,299.66 वर्गमीटर जमीन 1989 से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआ)रपीएफ (के कब्जे में थी।तथापि, खराब भूमि प्रबंधन के कारण, उत्तर रेलवे प्रशासन ने 1989-90 से 2015-16 की अवधि के लिए ₹ 4.88 करोड़ के भूमि पट्टे प्रभार के लिए बिल नहीं बढ़ाए।

पैरा 4.1 सुविधा एक्सप्रेस ट्रेनों के चलाने से राजस्व की हानिदक्षिण पश्चिम रेलवे :

रेल मंत्रालय ने त्योहारों छुट्टियों के दौरान/अधिकतम मांग को पूरा करने के लिए परिवर्तनीय किराया संरचना पर यशवंतपुरयशवंतपुर मार्ग पर सुवि-जयपुर-धा एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू कीं। वाणिज्यिक विभाग के सुझाव के बावजूद दक्षिण पश्चिम रेलवे प्रशासन खराब संरक्षण के साथ चल रही सुविधा एक्सप्रेस ट्रेनों को तत्काल स्पेशल सुपरफास्ट एक्सप्रेस/ट्रेनों में परिवर्तित करने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप 2016 से 2021 की अवधि के लिए ₹ 80.74 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

पैरा 4.2 खुली पहुँच के माध्यम से बिजली खरीद समझौतों को अंतिम रूप देने में विलम्ब के कारण अतिरिक्त व्ययपश्चिम मध्य रेलवे :

रेल मंत्रालय ने सभी क्षेत्रीय रेलवे को खुली पहुँच के माध्यम से उत्पादक कंपनियों से सीधी बिजली प्राप्त करने और उपलब्धता आधारित टैरिफ मीटरों का प्रावधान सुनिश्चित (एबीटी) करने के लिए निर्देश जारी किए मार्च) 2015)। खुली पहुँच के तहत मार्च 2016 में समझौता करने के बावजूद, मुख्य रूप से एबीटी मीटरों के प्रावधान में विलम्ब के कारण केवल जनवरी 2017 से ही बिजली की आपूर्ति शुरू की गई थी। खुली पहुँच में शिफ्ट होने में विलम्ब के परिणामस्वरूप बिजली खरीद पर ₹ 75.10 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

पैरा 4.3 लोको का गलत किराया प्रभार लगाने के कारण राजस्व की हानि दक्षिण : रेलवे

रेल मंत्रालय ने सभी जोनल रेलवे को मौजूदा प्रति लोको प्रति दिन के आधार के बजाय प्रति लोको प्रति घंटे के आधार पर लोको किराया प्रभार एकत्र करने का निर्देश दिया दिसंबर)2014)। दक्षिण रेलवे प्रशासन ने अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए प्रतिदिन के आधार पर कोयले की ढुलाई के लिए एक रेलवे डीजल लोको किराए पर देने के लिए उत्तर चेन्नई थर्मल पावर स्टेशन के साथ वार्षिक करार किए। (एनसीटीपीएस)जिसके परिणामस्वरुप अप्रैल 2017 से मार्च 2021 की अवधि के लिए ₹ 17.60 करोड़ की हानि हुई।

पैरा 4.4 अपूर्ण पूर्व अपेक्षित कार्यों के कारण विद्युतीकरण कार्यों का-समयपूर्व बंद होनादक्षिण पूर्व मध्य रेलवे :

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे प्रशासन ने पूर्व अपेक्षित सिविल कार्यों की प्रगति सुनिश्चित किए- बिना रेलवे विद्युतीकरण कार्यसौंप दिए। इस प्रकार, सिविल कार्यों की पर्याप्त प्रगति सुनिश्चित किए बिना रेलवे विद्युतीकरण कार्यों को सौंपने के परिणामस्वरूप ₹ 9.0 करोड़ के व्यय के बाद विद्युतीकरण कार्यों को पूर्ण होने से पहले बंद करना पड़ा।

पैरा 4.5 चैनल एयर बॉक्स की अधिप्राप्ति पर परिहार्य व्यय बनारस लोकोमोटिव : वर्क्स

रेल मंत्रालय की पूर्ण विद्युतीकरण की नीति के बावजूद, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने डिलीवरी की निर्धारित अवधि से परे एक विदेशी आपूर्तिकर्ता से डीजल (बीएलडब्ल्यू) इंजनों के लिए बने660 चैनल एयर बॉक्स स्वीकार किए। इस तरह से खरीदी गई वस्तुएं तीन साल से अधिक समय से अप्रयुक्त पड़ी थीं। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.85 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।